

कार्यालय अंचल अधिकारी, झुमरी, गिरिडीह

आदेश पत्रक

(उच्च अधिलेख अंशक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता. _____ से _____

जिला - गिरिडीह संख्या - 07/2020-21


उक्त का प्रकार विविध वाद


आदेश फलक

07.07.2020

आवेदक जाकिर हुसैन, पिता-अब्दुल मजीद, साकिन-चीनो, थाना-
 झुमरी, जिला-गिरिडीह ने मौजा-चीनो, थाना नं. 99, खाता नं.
 57 का खतियानी रैयत हैं। मेरे पूर्वज खुआनी भियाँ पैशर
 पसटू भियाँ के नाम से सर्वे खतियान खाता नं. 57 दर्ज है।
 खतियानी रैयत खुआनी भियाँ के पुत्र (1) महमूद भियाँ (2)
 शेखन भियाँ हैं। उक्त खतियान के तहत दोनों हिस्सेदारों को
 बराबर-बराबर का हिस्सा बनना है, जिसमें खाता 57 के
 प्लॉट नं. 1183, 1192, 1193, 1194 एवं 1203 में धर मकान एवं
 धर-बारी अवस्थित हैं, जिसमें हमलोग शेखन भियाँ के वंशज
 से आते हैं। धर के अतिरिक्त कुछ प्लॉट में तो गप्पी किनारे अवस्थित
 हैं। इसे पूर्वतो द्वारा खेती करने के ख्याल से बँटवारा किया था।
 जिसके कारण हमलोग के हिस्सेदार वंशज को गप्पी किनारे काग
 जमीन मिला है। इसके के साथ ही हिस्सेदारी रफवा में भी काग है।
 हमारे हिस्सेदार रैयत महमूद भियाँ के वंशज (1) लतीफ
 अख्तारी (ii) जहूर भियाँ दोनों पिता महमूद भियाँ के पास गप्पी किनारे
 (फंट) की जमीन एवं हिस्सेदारी रफवा से अधिक बाजबन्त जोत
 आबाद कर रहे हैं एवं बारी आवागमन के रास्ते जो पूर्वतो द्वारा
 खाना जाना होता था, उसमें अनावरमक रोका लगाता है। और लड़ाई
 झगडा भी करता है। उन्होनें उक्त प्लॉट का फ्रंट वासी जमीन एवं
 हिस्सेदारी रफवा को बराबर-बराबर करवाने हेतु अनुरोध किया है।

एवम् नर्माचारी एवं अंचल निरीक्षक से जांच
 प्रतिवेदन की मांग करे। अगिलेख दिनांक 22.07.2020 को रहे।
 अंशक 1/2019


 अंचल अधिकारी
 झुमरी


 अंचल अधिकारी
 झुमरी


22.07.2020


अग्निसेख उपस्थापित । दल्का कर्मचारी कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षण के माध्यम से प्राप्त है। उन्होंने प्रतिवेदन किया है कि मौजा चीनो, थाना नं० ११ खाता नं० 57 प्लॉट नं० 1183, 1192, 1193, 1194 एवं 1203 रकबा क्रमशः 31 बी, 21 बी, 04 बी, 60 बी एवं 11 बी सर्वे रैसत खाते की है, जिसका सर्वे खतियान शुगानी मियां पिता पल्लु मियां के नाम से दर्ज है। सर्वप्रथम वादगत भूमि प्लॉट नं० 1183, 1192, 1193, 1194 एवं 1203 पर खतियानी रैसत के वंशज अपने-अपने हिस्से में जोत-आबाद करते आ रहे हैं। सर्वे खतियान शुगानी मियां के दो पुत्र महमूद मियां एवं शेजत मियां हैं। आवेदन जाकिर हुसैन शेजत मियां के वंशज हैं में आता है। इनका कहना है कि हमारे हिस्सेदारों को हमसे अधिक भूमि को जोत-आबाद कर रहा है, वो भी मैन रास्ता में मियां है। और हमलोग को जो भूमि मिला है। उस भूमि से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसी को लेकर दोनों पक्षों जो दोनों खतियानी रैसत के वंशज हैं। आपस में लड़ाई शगडा कर रहा है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि वर्तमान में दोनों पक्षों में उक्त भूमि पर आपस में बंटवारा को लेकर यानी सभी अंशदार उक्त भूमि को रोड के किनारे ही लेना चाहता है। इसी को लेकर आपस में शगडा कर रहा है।

उभय पक्षों को नोटिश निर्गत करे। अग्निसेख दिनांक 04.08.2020 को रखे।

लेखापित एवं अशोधित


22/7/2020
अंचल अधिकारी
इमरी


22/7/2020
अंचल अधिकारी
इमरी

04.08.2020

अग्निसेख उपस्थापित । उभय पक्ष उपस्थित एवं हाजिरी कारिवाय । जाकिर हुसैन का कहना है कि हमारे हिस्सेदार हमसे अधिक भूमि पर जोत-आबाद कर रहे हैं इसलिए हमलोग का भूमि सीमांकन हो जाता तो मामला निष्पादन हो जाता। द्वितीय पक्ष

भी मापी हेतु तैयार है। आवेदन ऑनलाइन मापी का आवेदन कर सीमांकन करा जा सकता है। समय पत्र मापी हेतु तैयार है। उक्त भूमि पर सीमांकन होने तक शांति व्यवस्था बनाये रखेंगे। समय पत्र इस बात को लेकर अक्षम है। वाद की कार्यवाही बंद की जाती है।

न्यायालय अंचल अधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)

अमीन मापी से संबंधित आदेश पत्र

ऑनलाईन अमीन मापी आवेदन संख्या-.....63...../2020 -2021

आदेश फलक

03/02/21

आवेदक श्री इल्काम अंसारी, पिता - लतीफ अंसारी, ग्राम - चीनी द्वारा मौजा - चीनी खाला नं - 57 प्लॉट संख्या - 1183, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191 एवं 1192 कुल रकबा - 2.51 ए० भूमि की मापी हेतु ऑनलाईन आवेदन दर्ज किया है।

उक्त पृष्ठ के संबंध में सम्बन्धित कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग करी।
अभिलेख क्रमांक - 25/02/2021 को स्वर्ण।
लेखापित एवं संशोधित।

(Signature)
अ. अ.
डुमरी

(Signature)
अ. अ.
डुमरी


25/2/21


अभिलेख उपस्थापित संबंधित इल्काम कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा - चीनी खाला नं - 57 प्लॉट सं - 1183, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1201, 1202, 1203 एवं 1185 कुल रकबा - 3.00 एकड़ भूमि स्वर्ण खतियान की सुमानी मिश्रां पिता - दूधू मिश्रां के नाम से दर्ज है। जो रैयति खाते की है। उक्त भूमि का चौदही निम्न प्रकार है -

३० - रास्ता, ६० - रौप्यन मिश्रां, ५० - लतीफ अंसारी खासदार, ५० - रौप्यन मिश्रां।


अतः विज्ञापित भूमि आवेदक को परदस्ता
 के नाम पर जमाबन्दी कायम है। चूकि रकमा - 3.00
 एकड़ से अधिक है व किमिन्न पत्तों का मापी कर
 हेतु कितना दिन का समय बगेगा अंचल अधीन से
 जानकारी प्राप्त कर मापी शुल्क जमा करा कर मापी
 कराया जा सकता है।


अतः राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक
 द्वारा की गई अनुसंधान के आधार पर उक्त भूमि
 को मापी हेतु अंचल अधीन से समयावधि प्राप्त कर
 आवेदक को मापी शुल्क जमा करने हेतु निर्देशित
 करें। अमिलेख दिनांक - को रखें।
 लैखापित एवं संशोधित।


 अ. अ.
 कुमारी


 अ. अ.
 कुमारी

05/04/21 अमिलेख उपलब्ध। चलन संख्या - LR/16/40/0892088
 द्वारा मापी शुल्क जमा किया गया। अतः भूमि की
 मापी हेतु दिनांक - 09/04/2021 को अंचल अधीन को
 निर्देशित करें तथा साथ ही जौहरीदार एवं अन्य व्यक्त
 को उक्त स्थल पर ससमय उपस्थित होने हेतु नोटिस
 निर्गत करें। अमिलेख दिनांक - को रखें।


 अ. अ.
 कुमारी


 अ. अ.
 कुमारी

22/07/21 अमिलेख उपस्थापित / अंचल अमीन की व्यवस्था के कारण निर्धारित तिथि दिनांक - 09/07/2021 को मापी कार्य नहीं किया गया / अतः दिनांक - 30/07/2021 को अंचल अमीन को भूमि मापी हेतु आवेदन करते हुए दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत करें / पाद दिनांक - 11/08/2021 को स्वकीं / केखापित एवं संशोधित /

~~अ. अ.~~
अ. अ.
हुमरी

~~अ. अ.~~
अ. अ.
हुमरी

11/08/21

अमिलेख उपस्थापित / अंचल अमीन से प्राप्त मापी प्रतिवेदन अमिलेखबद्ध हैं। जिसमें आवेदक इसलाम अंसारी द्वारा मापी कारणों से इनकार किया है। अतः अंचल अमीन से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अमिलेख की अग्रतर कार्रवाई बन्द किया जाता है। केखापित एवं संशोधित

~~अ. अ.~~
अ. अ.
हुमरी

~~अ. अ.~~
अ. अ.
हुमरी

सेवा में

श्रीमान अंचल सचिवकारी हुमरी

विषय :- मौजा पिनो ग्रामास 99 ग्रामा हुमरी आंगीत खालास 57 प्लार सव

1183, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1201, 1202, 1203.

एवं 1948 फुल रकबा 03.05.48 मूमिका मापी प्रतिवेदन समर्पित

प्रसंग :- अजदीय कार्यालय जापांक 383 दिनांक 5.7.2021 एवं मानलाईन

मूमि खिमांकन नंदास 63/2020-21

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रालाबिक पत्र डी आर्कोक में दिनांक 9.4.2021

को मौजापिनो ग्रामास 99 ग्रामा हुमरी पहुँचकर विधायक एचल

मापी हेतु आवेदक को बुलाया गया, स्थल पर मौजूद विभिन्न पक्ष

एवं गांव के जगामान्य जनप्रतिनिधी गण, पंचायत, आदिओं के

द्वारा भी बुलाया गया तो आवेदक इसलाम अंसारी मिला लगीक

अंसारी स्थल पर आया परंतु आवेदक मापी कराने से इन्कार

गया। इसलिये मापी कार्य नहीं किया जा सका। स्थल पर

विभिन्न लोगों का हस्तक्षेप प्रति इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

आज श्रीमान को अज्ञेय नोटवाई हेतु सादर समर्पित।

आपका विश्वासु

अमीन

09.07.2021

अं अमीन

हुमरी

V.O.S
11/11/21